पत्र संख्या-विधि-1(3)-ईट भट्टा समा0यो0-(2008-09)/ 258 / 0910021 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश।

(विधि अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: 09 जून 2009

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,
समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक),
समस्त डिप्टी कमिश्नर (क0नि0),
वाणिज्य कर विभाग उत्तर प्रदेश

विषय:- ईंट भट्टा समाधान योजना सीजन वर्ष 2007-08 में (दिनांक 01-01-2008 से दिनांक 30-09-2008 तक) तथा सीजन वर्ष 2008-2009 में (दिनांक 01-10-2008 से दिनांक 30-09-2009 तक) के सम्बन्ध में

ईट भट्टा सीजन वर्ष 2007-08 में दिनांक 01-01-2008 से दिनांक 30-09-2008 तक की अवधि तथा सीजन वर्ष 2008-2009 में दिनांक 01-10-2008 से दिनांक 30-09-2009 तक की अवधि हेतु उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अन्तर्गत ईंट निर्माता व्यापारियों द्वारा निर्मित ईंटो, भट्टो में निर्मित टाइल्स, ईंट के रोड़ो तथा राबिस की बिक्री और ईंटो के निर्माण में प्रयुक्त कोयला, बालू तथा लकड़ी के बुरादे की खरीद पर उक्त अधिनियम के अधीन देय कर एवं प्रवेश कर के विकल्प में एक मुश्त धनराशि दिये जाने सम्बन्धी समाधान योजना लागू किये जाने के सम्बन्ध में शासन के पत्र संख्या क0नि0-2-1277/ग्यारह-2009-9(32)/09 दिनांक 09 जून, 2009 द्वारा प्राप्त निर्देशो / शर्तो की प्रति संलग्न की जा रही है। शासन के निर्देश के अनुसार कुछ प्रमुख तथ्य एवं शर्ते निम्नवत् है :-

1- यह समाधान योजना ईंट भट्ठा सीजन वर्ष 2007-08 में दिनांक 01-01-2008 से दिनांक 30-09-2008 तक तथा ईंट भट्ठा सीजन सीजन वर्ष 2008-2009 में दिनांक 01-10-2008 से दिनांक 30-09-2009 तक की अवधि के लिए है।

2- समाधान योजना का लाभ उन्ही ईट निर्माताओं को उपलब्ध होगा जो इस परिपत्र के निर्गत होने के **15 दिन के अन्दर** विकल्प प्रार्थना-पत्र, निर्धारित समाधान राशि जमा करने के प्रमाण के साथ सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष जमा कर देगें। **विकल्प प्रस्तुत करने की तिथि किसी भी दशा में बढ़ायी नही जायेंगी।**

3- सीजन वर्ष 2007-08 में दिनांक 01-01-2008 से दिनांक 30-09-2008 तक की अवधि के लिए समाधान राशि पूर्व में इस सीजन वर्ष की दिनांक 01-10-2007 से दिनांक 31-12-2007 तक की अवधि के लिए विभिन्न पायों के भट्टो के लिए निर्धारित समाधान राशि के तीन गुने के बराबर (समानुपातिक आधार पर) तथा सीजन वर्ष 2008-09 में दिनांक 01-10-2008 से दिनांक 30-09-2009 तक की अवधि के लिए समाधान राशि सीजन वर्ष 2007-08 की दिनांक 01-10-2007 से दिनांक 30-9-2008 तक की अवधि के लिए निर्धारित समाधान राशि के बराबर आगणित की जायेगीं तथा इस सम्बन्ध में :-

(1) सामान्य प्रकार के नान-हाई ड्राट भट्टो के लिए निर्धारित समाधान राशि की तुलना मे **10 प्रतिशत बढ़ाकर हाई ड्राट भट्टो हेतु** समाधान राशि है।

(2) कोयले की खरीद पर **देय प्रवेश कर के विकल्प के रुप में** समाधान राशि उपरोक्तानुसार निर्धारित राशि का **10 प्रतिशत अतिरिक्त होगी** तथा कोयले पर प्रवेश कर के विकल्प के रुप में समाधान योजना अपनाने के लिए तद्नुसार समाधान राशि जमा करनी होगी।

(3) शासन के निर्देश के अनुपालन में वर्ष 2007-08 में दिनांक 01-01-2008 से दिनांक 30-09-2009 तक की तथा सीजन वर्ष 2008-2009 में दिनांक 01-10-2008 से दिनांक 30-09-2009 तक की अवधि के लिए निम्न तालिका के अनुसार पायेवार समाधान राशि आगणित की जाती है:-

पायों की संख्या	सीजन वर्ष 2007-08 में (दि0 01-01-2008 से दि0 30-09-2008 तक) के लिए निर्धारित समाधान राशि		सीजन वर्ष 2007-08 में (दि0 01-01-2008 से दि0 30-09-2008 तक) के लिए निर्धारित प्रवेश कर समाधान राशि		सीजन वर्ष 2008-09 में (दि0 01-10-2008 से दि0 30-09-2009 तक) के लिए निर्धारित समाधान राशि		सीजन वर्ष 2008-09 में (दि0 01-10-2008 से दि0 30-09-2009 तक) के लिए निर्धारित प्रवेश कर समाधान राशि	
	नान हाई ड्राट भट्ठा	हाई ड्राट भट्ठा	नान हाई ड्राट भट्ठा	हाई ड्राट भट्ठा	नान हाई ड्राट भट्ठा	हाई ड्राट भट्ठा	नान हाई ड्राट भट्ठा	हाई ड्राट भट्ठा
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
15	**68223**	**75045**	**6822**	**7505**	**90964**	**100060**	**9096**	**10006**
16	**82179**	**90396**	**8218**	**9040**	**109572**	**120528**	**10957**	**12053**
17	**97683**	**107451**	**9768**	**10745**	**130244**	**143268**	**13024**	**14327**
18	**114738**	**126213**	**11474**	**12621**	**152984**	**168284**	**15298**	**16828**
19	**134895**	**148386**	**13490**	**14839**	**179860**	**197848**	**17986**	**19785**
20	**155052**	**170556**	**15505**	**17056**	**206736**	**227408**	**20674**	**22741**
21	**176760**	**194436**	**17676**	**19444**	**235680**	**259248**	**23568**	**25925**
22	**201567**	**221724**	**20157**	**22172**	**268756**	**295632**	**26876**	**29563**
23	**231027**	**254130**	**23103**	**25413**	**308036**	**338840**	**30804**	**33884**
24	**262038**	**288243**	**26204**	**28824**	**349384**	**384324**	**34938**	**38432**
25	**294600**	**324060**	**29460**	**32406**	**392800**	**432080**	**39280**	**43208**
26	**330261**	**363288**	**33026**	**36329**	**440348**	**484384**	**44035**	**48438**
27	**367473**	**404220**	**36747**	**40422**	**489964**	**538960**	**48996**	**53896**
28	**404685**	**445155**	**40469**	**44516**	**539580**	**593540**	**53958**	**59354**
29	**441900**	**486090**	**44190**	**48609**	**589200**	**648120**	**58920**	**64812**
30	**479109**	**527019**	**47911**	**52702**	**638812**	**702692**	**63881**	**70269**
31	**516324**	**567957**	**51632**	**56796**	**688432**	**757276**	**68843**	**75728**

32	553536	608889	55354	60889	738048	811852	73805	81185
33	590748	649824	59075	64982	787664	866432	78766	86643
34	627960	690756	62796	69076	837280	921008	83728	92101
35	666723	733395	66672	73340	888964	977860	88896	97786
36	705486	776034	70549	77603	940648	1034712	94065	103471
37	744249	818673	74425	81867	992332	1091564	99233	109156
38	783012	861312	78301	86131	1044016	1148416	104402	114842
39	821775	903954	82178	90395	1095700	1205272	109570	120527
40	860538	946593	86054	94659	1147384	1262124	114738	126212
41	899301	989232	89930	98923	1199068	1318976	119907	131898
42	938064	1031871	93806	103187	1250752	1375828	125075	137583
43	976827	1074510	97683	107451	1302436	1432680	130244	143268
44	1015590	1117149	101559	111715	1354120	1489532	135412	148953
45	1054353	1159788	105435	115979	1405804	1546384	140580	154638
46	1093116	1202427	109312	120243	1457488	1603236	145749	160324
47	1131879	1245066	113188	124507	1509172	1660088	150917	166009

(4) केवल पंजीकृत व्यापारी तथा ऐसे व्यापारी, जिन्होंने पंजीयन प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर दिया है और वह अस्वीकृत न हुआ हो, ही इस योजना के पात्र हो सकेगें।

(5) समाधान योजना सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र, शपथ-पत्र / अनुबन्ध-पत्र का प्रारुप संलग्न किया जा रहा है।

(6) समाधान योजना अपनाने वाले ईट भट्टो तथा समाधान योजना न अपनाने वाले भट्टो के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रारुप-1 व 2 में सम्बन्धित जोनल एडीशनल कमिश्नर सीजन वर्ष 2007-08 (दिनांक 1-1-2008 से दिनांक 30-9-2008 तक) तथा सीजन वर्ष 2008-09 (दिनांक 1-10-2008 से दिनांक 30-9-2009 तक) की अलग-अलग सूचना मुख्यालय को **दिनांक 15-07-2009** तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रारुप-1

समाधान योजना अपनाने वाले भट्टो से सम्बन्धित विवरण

(धनराशि लाख रुपये रु0 में)

पायेवार भट्टो की संख्या		देय कर समाधान राशि	देय प्रवेश कर समाधान राशि	कुल देय समाधान राशि	जमा समाधान राशि	विशेष
भट्टो की संख्या	पायो की संख्या					
1		2	3	4	5	6

प्रारुप-2

समाधान योजना न अपनाने वाले भट्ठो से सम्बन्धित विवरण

(धनराशि लाख रुपये रु0 में)

भट्ठो की कुल संख्या पायेवार	समाधान योजना से बाहर रहने वाले भट्ठो की संख्या पायेवार	समाधान योजना से बाहर रहने वाले भट्ठो के सम्बन्ध में					
		घोषित बिक्री	स्वीकृत जमा कर	स्वीकृत जमा प्रवेश कर	अस्थायी कर निर्धारण द्वारा आरोपित कर	जमा कर	बकाया कर
1	2	3	4	5	6	7	8

7- कृपया शासन के निर्देशनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें । इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाय तथा शासन के निर्देश से व्यापारिक संगठनों को एवं अधिवक्ता संघों को भी अवगत कराते हुए इस योजना की सफलता के लिए हर सम्भव प्रयास किये जाये ।

संलग्नक- 1 शासन के निर्देश ।
2 समाधान प्रार्थना पत्र का प्रारुप ।
3 शपथ पत्र / अनुबन्ध पत्र का प्रारुप ।

ह0/-
(अनिल संत)
कमिश्नर, वाणिज्य कर उ0 प्र0 ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक उक्त

(1) सॅयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, उार प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ को शासन के पत्र संख्या क0नि0-2-1277/ग्यारह-2009-9(32)/09 दिनांक 09 जून, 2009 के क्रम में ।

(2) समस्त एडीशनल कमिश्नर / ज्वाइन्ट कमिश्नर वाणिज्य कर मुख्यालय, लखनऊ ।

ह0/-
(वाई0 एस0 सिंह)
ज्वाइन्ट कमिश्नर (विधि) वाणिज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ ।

ईंट भट्टा सीजन वर्ष 2007-2008 में दिनांक 01-01-2008 से दिनांक 30-09-2008 तक की अवधि तथा सीजन वर्ष 2008-2009 में दिनांक 01-10-2008 से दिनांक 30-09-2009 तक की अवधि के लिए उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा 6 की उपधारा (1) के अन्तर्गत ईंट निर्माता व्यापारियों द्वारा निर्मित ईंटो, ईंट भट्टो निर्मित टाइल्स, ईंट के रोड़ो तथा राबिस की बिक्री और ईंटो के निर्माण में प्रयुक्त कोयला, बालू तथा लकड़ी के बुरादे की खरीद पर उक्त अधिनियम के अधीन देय कर एवं प्रवेश कर के विकल्प में एक मुश्त धनराशि दिये जाने सम्बन्धित समाधान योजना लागू किये जाने के सम्बन्ध में शासन के निर्देश

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा 6 की उपधारा (1) के उपबन्धो के अधीन उत्तर प्रदेश में ईटों के निर्माताओ से उनके द्वारा सीजन वर्ष 2007-08 में दिनांक 01-01-2008 से दिनांक 30-09-2008 तक की अवधि तथा सीजन वर्ष 2008-09 में दिनांक 01-10-2008 से दिनांक 30-09-2009 तक की अवधि में निर्मित ईंटो, ईंट भट्टो में निर्मित टाइल्स, ईंट के रोड़ो तथा राबिस की बिक्री और ईंटो के निर्माण में प्रयुक्त कोयला, बालू तथा लकड़ी के बुरादे की खरीद पर उक्त अधिनियम के अधीन देय कर एवं प्रवेश कर के विकल्प में एक मुश्त धनराशि (जिसे आगे समाधान राशि कहा गया है) कर निर्धारक अधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तो के अधीन स्वीकार की जा सकती है :-

(1) सीजन वर्ष 2007-08 में दिनांक 01-01-2008 से दिनांक 30-09-2008 तक की अवधि के लिए समाधान राशि पूर्व में इस सीजन वर्ष की दिनांक 01-10-2007 से 31-12-2007 तक की अवधि के लिए विभिन्न पायों के भट्टो के लिए निधार्रित समाधान राशि के तीन गुने के बराबर (समानुपातिक आधार पर) निर्धारित की जाय।

सीजन वर्ष 2008-09 (दिनांक 01-10-2008 से 30-09-2009 तक) की अवधि के लिए समाधान राशि सीजन वर्ष 2007-08 की दिनांक 01-10-2007 से दिनांक 30-09-2008 तक की अवधि के लिए विभिन्न पायों के भट्टो के लिए निर्धारित समाधान राशि के बराबर निर्धारित की जाय।

(2) सामान्य प्रकार के नान-हाई ड्राट भट्टो के लिये निर्धारित समाधान राशि की तुलना में हाई ड्राट भट्टो हेतु समाधान राशि 10% बढ़ाकर निर्धारित की जाय।

(3) कोयले की खरीद पर देय प्रवेश कर के विकल्प के रुप में समाधान राशि उपरोक्तानुसार निर्धारित धनराशि का 10% अतिरिक्त होगी तथा कोयले पर प्रवेश कर के विकल्प के रुप में समाधान योजना अपनाने के लिए तद्नुसार समाधान राशि जमा करनी होगी।

(4) वर्ष 2007-08 की उक्त अवधि के लिये समाधान योजना का लाभ उन्हीं ईट निर्माताओं को उपलब्ध होगा जो योजना के निर्देश कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश द्वारा परिपत्रित करने के 15 दिन के अन्दर विकल्प प्रार्थना-पत्र, निर्धारित समाधान राशि के जमा करने का प्रमाण के साथ सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष जमा कर देंगें । विकल्प प्रस्तुत करने की तिथि किसी भी दशा में बढ़ायी नही जायेगी ।

(5) सीजन वर्ष 2008-09 के लिए समाधान योजना का विकल्प प्रार्थना-पत्र समाधान राशि के 90% की धनराशि जमा करने के प्रमाण के साथ कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश द्वारा योजना परिपत्रित करने के 15 दिन के अन्दर कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष जमा करने पर ही प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जायेगा । देय सम्पूर्ण समाधान राशि का अवशेष 10% भाग दिनांक 30-06-2009 तक जमा किया जायेगा । विकल्प प्रार्थना-पत्र तथा उसके साथ निर्धारित समाधान राशि जमा करने की तिथि को किसी भी दशा में बढ़ाया नही जायेगा ।

उपरोक्तानुसार निर्धारित समाधान राशियों की किस्त समयानुसार जमा न करने की स्थिति में 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज देय होगा ।

(6) समाधान योजना परिपत्रित होने के पूर्व जारी किये गये टैक्स इनवाइस के अनुसार वसूल की गई कर की धनराशि का कोई लाभ समाधान धनराशि में नहीं दिया जायेगा । इसके अतिरिक्त कर के रुप में जमा की गई धनराशि, जिसमें अस्थाई कर निर्धारण के फलस्वरुप जमा की गई कर की धनराशि सम्मिलित है, का समायोजन समाधान राशि में किया जायेगा ।

(7) किसी भी प्रकार की अर्थदण्ड के रुप में जमा धनराशि अथवा ब्याज की धनराशि का समायोजन निर्धारित समाधान राशि में नही किया जायेगा ।

(8) इन व्यवसाईयों को आई0 टी0 सी0 का लाभ अनुमन्य नही होगा और समाधान योजना निर्गत होने के बाद न तो ऐसा व्यवसाई कर की धनराशि वसूल सकेगा और न ही कोई टैक्स इनवाइस जारी करेंगे ।

(9) समाधान योजना निर्गत होने के पूर्व टैक्स इनवाइस से क्रय करने वाले पंजीकृत क्रेता व्यापारियों को आई0 टी0 सी0 का लाभ अनुमन्य नही हो सकेगा परन्तु ऐसे क्रेता व्यापारियों को हानि से बचाने के लिए आई0 टी0 सी0 अनुमन्य न होने के कारण मांग सृजित होने पर उसे माफ करने का अधिकार कर निर्धारण अधिकारी को दे दिया जाय ।

(10) समाधान योजना अपनाने वाले व्यवसाईयों को तभी इसका लाभ दिया जायेगा यदि इसके पूर्व के वर्षो की समाधान योजना की बकाया किस्तो की धनराशि ब्याज सहित जमा करने का प्रमाण इस समाधान योजना के प्रार्थना-पत्र के साथ जमा किया जायेगा। अन्यथा समाधान योजना का लाभ अनुमन्य नही होगा।

(11) यदि कोई व्यापारी जिस भट्टे के लिए समाधान योजना का विकल्प चुनते है, उससे भिन्न भट्टे पर निर्मित किसी माल की बिक्री करते हैं या अन्य प्रकार के क्रय-विक्रय के कार्य भी करते है, तो उनके अन्य प्रकार के क्रय-विक्रय पर देयकर इस समाधान योजना से अच्छादित नही होगा।

(12) कोई व्यापारी जिस भट्टे के लिये समाधान योजना का विकल्प चुनता है, समाधान योजना केवल उसी भट्टे के लिए लागू मानी जायेगी। व्यापारी यदि उससे भिन्न किसी भट्टे से भी निर्मित किसी माल की बिक्री करते है या अन्य प्रकार के क्रय विक्रय के कार्य करते है तो अन्य भट्टे पर निर्मित माल अथवा अन्य प्रकार के क्रय विक्रय पर देयकर इस समाधान योजना से अच्छादित नही होगा।

(13) केवल पंजीकृत व्यापारी तथा जिन्होंने पंजीयन प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर दिया है और वह अस्वीकृत नही हुआ हो केवल ऐसे व्यापारी इस योजना के पात्र हो सकेगें।

(14) प्रार्थना-पत्र तथा शपथ पत्र आदि में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में वाणिज्य कर विभाग के अधिकारी ईंट भट्टो आदि की जांच करने के लिए स्वतंत्र होंगें। ऐसी जांच के समय ईंट निर्माता व्यापारी अथवा उनके कोई कर्मचारी या प्रतिनिधि जाँच कार्य में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नही करेंगें और जांच में पूरा सहयोग देंगे। व्यवधान उत्पन्न होने अथवा असहयोग करने की स्थिति में प्रार्थना-पत्र तथा शपथ पत्र में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में विपरीत निष्कर्ष निकाला जायेगा। साथ ही यदि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा ऐसा उचित समझा जाय तो प्रार्थना-पत्र अस्वीकार किया जा सकता है तथा उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियिम, 2008 के अन्तर्गत अन्य विधिक कार्यवाही भी की जा सकती है। विवादित बिन्दु पर कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश का निर्णय अन्तिम होगा।

(15) सीजन वर्ष के दौरान समाधान योजना किसी भी समय समाप्त की जा सकती है या वापस ली जा सकती है और ऐसी दशा में समाधान योजना के लागू रहने की अवधि में समानुपातिक रुप से समाधान राशि देय होगी तथा शेष अवधि में व्यापारियों को नियमानुसार कर देना होगा।

प्रारुप-1

वर्ष 2007-2008 में दिनांक 01-01-2008 से दिनांक 30-09-2008 तक की अवधि हेतु उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2008 की धारा-6 के अन्तर्गत ईंट निर्माता व्यापारियों द्वारा निर्मित ईंटो, ईंट भट्टो में निर्मित टाइल्स ईंट के रोड़ो तथा राबिस की बिक्री और ईंटों के निर्माण में प्रयुक्त कोयला, बालू तथा लकड़ी के बुरादे की खरीद पर विधि के अधीन देय मूल्य संवर्धित कर / प्रवेश कर के विकल्प में एकमुश्त धनराशि दिये जाने सम्बन्धित समाधान प्रार्थना पत्र।

सेवा में,

डिप्टी / असिस्टेंट कमिश्नर वाणिज्य कर,

खण्ड-----------------

मंडल / उपमंडल

महोदय,

मै, फर्म सर्वश्री ---जिसका मुख्यालय-------------- पर स्थित है तथा जिसे उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम-2008 की धारा-17 में ---------------- कार्यालय-------------------द्वारा पंजीयन प्रमाण पत्र संख्या ----------- -----दिनांक ----------------से प्रभावी जारी किया गया अथवा जिसे उक्त अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन प्राप्त करने के लिए डिप्टी / असिस्टेंट कमिश्नर, वाणिज्य कर, खण्ड---------- ----------- मंडल/ उपमंडल---------के कार्यालय में दिनांक ----------- को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, का स्वामी / साझीदार--------------हूॅ। मैने ईंट निर्मातओं द्वारा अपने भट्टे में निर्मित ईंटों, भट्टों में निर्मित टाइल्स ईंट के रोड़ों तथा राबिस की दिनांक 01-01-2008 से 30-09-2008 तक की अवधि में की गई बिक्री पर तथा उक्त ईंटां के निर्माण में प्रयुक्त कोयला, बालू तथा लकड़ी के बुरादे की खरीद पर विधि के अधीन देय मूल्य संवर्धित कर / प्रवेश कर के विकल्प में धारा-6 में एक मुश्त राशि स्वीकार करने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी निर्देशों को स्वयं पढ़ लिया है अथवा पूर्ण रुप से सुन लिया है और भली भॉति समझ लिया है। शासन के इन निर्देशों की सभी शर्ते मुझे मान्य है। उन्ही के अधीन मै यह प्रार्थना पत्र, उक्त फर्म की ओर से प्रस्तुत कर रहा हूॅ।

मै उक्त फर्म द्वारा ईंटों, ईंट भट्टों में निर्मित टाइल्स ईंट के रोड़ों तथा राबिस की वर्ष 2007-2008 में दिनांक 01-01-2008 से 30-09-2008 में हुई बिक्री तथा इसी अवधि में ईंटां के **निर्माण में प्रयुक्त कोयला, बालू तथा लकड़ी के बुरादे की खरीद पर विधि** के अधीन देय मूल्य संवर्धित कर / प्रवेश कर के विकल्प में एक मुश्त धनराशि दिये जाने सम्बन्धी उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2008 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन समाधान हेतु एक मुश्त धनराशि संलग्न शपथ पत्र / अनुबन्ध पत्र के अनुसार रुपया--------------स्वीकार किये जाने का निवेदन

करता हूँ। इस धनराशि में मूल्य संवर्धित कर समाधान शुल्क रुपया-----------/ कोयले पर देय प्रवेश कर समाधान शुल्क रुपया-------सम्मिलित है । यह धनराशि मैने चालान संख्या----------------- दिनांक -----------------द्वारा-----------(बैंक / शाखा का नाम) में जमा कर दिया है, जिसकी प्रति इस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है ।

दिनांक 01-01-2008 को मेरे यहॉ स्टाक निम्नवत् था:-

क्रम संख्या	मद	संख्या/ मात्रा	स्थान जहॉ स्टाक है
01	पक्की ईंटे		
02	ईंटों के रोड़े		
03	भट्ठो में निर्मित टाइल्स		
04	राबिस		
05	कोयला		
06	लकड़ी		
07	बालू		
08	लकड़ी का बुरादा		

दिनांक ----------------------

हस्ताक्षर------------------
पूरा पता-----------------
प्रास्थिति----------------
फर्म का नाम व पता -------------------

प्रमाणीकरण

मै इस प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति को व्यक्तिगत रुप से जानता हूँ । यह फर्म --------------------------------के स्वामी / साझीदार-------------------------है तथा इस प्रार्थना पत्र पर इन्होने मेरे समक्ष हस्ताक्षर किये है ।

प्रमाणीकरण करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर------------
पूरा नाम---------------------------------
पूरा पता-------------------------------

प्रारुप-2

शपथ पत्र

समक्ष डिप्टी / असिस्टेंट कमिश्नर वाणिज्य कर,

खण्ड-----------------

मंडल / उपमंडल

मैं--------------------------------------पुत्र श्री-------------------आयु लगभग------वर्ष स्थायी निवासी-----------------------------(पूरा पता) शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि :-

1- मै, फर्म स्वामी सर्वश्री --------------------------जिसका मुख्यालय---------------(पूरा पता) पर स्थित है, का स्वामी/ साझीदार ------------------------------(प्रास्थिति) हूँ तथा यह शपथ पत्र अपनी उपरोक्त फर्म की ओर से दे रहा हूँ।

2- मेरे फर्म के मुख्यालय तथा शाखाओं के विवरण निम्नवत् है :-

क्र. स.	पूरा पता	वस्तुएं जिनका निर्माण या व्यापार होता है	निर्मित वस्तुओं के साथ सह उत्पादो का विवरण
01	मुख्यालय		
02	शाखाएं (अ) (ब) (स)		

3- वर्ष 2007-2008 में दिनांक 01-01-2008 से 30-09-2008 तक की अवधि हेतु उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत ईंट निर्माता व्यापारियों द्वारा निर्मित ईंटो, ईंट भट्ठो मे निर्मित टाइल्स ईंट के रोड़ो तथा राबिस की बिक्री और ईंटो के निर्माण में प्रयुक्त कोयला, बालू तथा लकड़ी के बुरादे की खरीद पर विधि के अधीन देय मूल्य संवर्धित कर / प्रवेश कर के विकल्प में एकमुश्त धनराशि दिये जाने सम्बन्धित समाधान योजना लागू किंये जाने के सम्बन्ध में शासन के निर्देशों एवं उसमें अंकित सभी शर्तो तथा कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश द्वारा दिये गये आदेशो एवं प्रतिबन्धों की पूरी पूरी एवं सही जानकारी मुझे तथा मेरी फर्म में हितबद्व अन्य व्यक्तियों को हो चुकी है तथा सभी निर्देश, शर्ते तथा प्रतिबन्ध मुझे तथा मेरी फर्म में हितबद्व अन्य व्यक्तियों को मान्य है और सदा रहेंगे।

4- मेरी उक्त फर्म के अपने निजी एवं लीज पर पर ईंट के निम्नलिखित भट्ठे सीजन वर्ष 2007-2008 में 01-01-2008 से 30-09-2008 की अवधि में रहे है।

भट्टों की संख्या	भट्टे की प्रकृति (नॉन हाईड्राट/ हाईड्राट)	पायों की संख्या	एक समय में कितने स्थानो पर फुॅकाई होती है	पायों की संख्या के आधार पर प्रत्येक भट्टे के लिए प्रस्तावति एक मुश्त धनराशि	समाधान धनराशि	
1	2	3	4	5	6	
					कर समाधान शुल्क	कोयले पर देय प्रवेश कर समाधान शुल्क

कुल योग------------------------------

5- प्रस्तर (4) में अंकित भट्टो तथा इसी तालिका के स्तम्भ-6 में अकिंत धनराशि का कुल योग रुपया---------------------होता है, जो मेरी / हमारी फर्म द्वारा देय है । इस धनराशि का चालान, व समाधान प्रार्थना पत्र, इस शपथ पत्र / अनुबन्ध पत्र के साथ संलग्न है ।

6- यदि वर्ष 2007-2008 में दिनांक 01-10-2008 से 30-09-2008 तक की अवधि हेतु मेरा धारा-6 में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तब मेरी फर्म इस शपथ पत्र/ अनुबन्ध पत्र के अनुलग्नक प्रारुप-1 में दी गयी शर्तो का अनुपालन करने, शासन द्वारा दिये गये निर्देशों तथा कमिश्नर वाणिज्य कर द्वारा लगायी गयी शर्तो / प्रतिबन्धों में दिये गये आदेशो का पालन करने तथा अपने दायित्च का निर्वहन करने के लिए बाध्य होगी । शासनादेश / परिपत्र में दिये गये निर्देशों और निर्धारित शर्तो का अनुपालन न किये जाने की दशा में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार तथा वाणिज्य कर विभाग, नियमानुसार कार्यवाहियां मेरी फर्म के विरुद्व कर सकेगा ।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार ।

हस्ताक्षर------------------

पूरा पता-----------------

प्रास्थिति----------------

फर्म का नाम व पता -------------------

घोषणा

मैं---उपरोक्त घोषणा करता हूॅं कि शपथ पत्र / अनुबन्ध पत्र के प्रस्तर (1) से (6) में अंकित विवरण मेरी जानकारी और विश्वास में पूर्ण तथा सत्य है और कोई तथ्य छिपाया नही गया है । यह भी घोषणा करता हूॅं कि इस शपथ पत्र / अनुबन्ध तथा इसके संलग्नक में निर्धारित प्रतिबन्धों, शर्तो और निर्देशों से मैं तथा मेरी फर्म में हितबद्ध अन्य सभी व्यक्ति आबद्ध रहेंगे।

हस्ताक्षर------------------
पूरा पता-----------------
प्रास्थिति----------------
फर्म का नाम व पता -------------------

साक्षी के हस्ताक्षर----------------------------------
नाम एवं पता -------------------------------------
तिथि एवं स्थान---------------------------------------

प्रारुप-1

वर्ष 2008-2009 में दिनांक 01-10-2008 से दिनांक 30-09-2009 तक की अवधि हेतु उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2008 की धारा-6 के अन्तर्गत ईंट निर्माता व्यापारियों द्वारा निर्मित ईंटो, ईंट भट्ठो में निर्मित टाइल्स ईंट के रोड़ों तथा राबिस की बिक्री और ईंटों के निर्माण में प्रयुक्त कोयला, बालू तथा लकड़ी के बुरादे की खरीद पर विधि के अधीन देय मूल्य संवर्धित कर / प्रवेश कर के विकल्प में एकमुश्त धनराशि दिये जाने सम्बन्धित समाधान प्रार्थना पत्र ।

सेवा में,

डिप्टी / असिस्टेंट कमिश्नर वाणिज्य कर,

खण्ड-----------------

मंडल / उपमंडल

महोदय,

मै, फर्म सर्वश्री ---जिसका मुख्यालय-------------- पर स्थित है तथा जिसे उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम-2008 की धारा-17 में ---------------- कार्यालय--------------------द्वारा पंजीयन प्रमाण पत्र संख्या ----------- -----दिनांक ----------------से प्रभावी जारी किया गया अथवा जिसे उक्त अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन प्राप्त करने के लिए डिप्टी / असिस्टेंट कमिश्नर, वाणिज्य कर, खण्ड---------- ----------- मंडल/ उपमंडल---------के कार्यालय में दिनांक ----------- को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, का स्वामी / साझीदार--------------हॅू । मैने ईंट निर्मातओं द्वारा अपने भट्टे में निर्मित ईंटों, भट्ठों में निर्मित टाइल्स ईंट के रोड़ों तथा राबिस की दिनांक 01-10-2008 से 30-09-2009 तक की अवधि में की गई बिक्री पर तथा उक्त ईंटां के निर्माण में प्रयुक्त कोयला, बालू तथा लकड़ी के बुरादे की खरीद पर विधि के अधीन देय मूल्य संवर्धित कर / प्रवेश कर के विकल्प में धारा-6 में एक मुश्त राशि स्वीकार करने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी निर्देशों को स्वयं पढ़ लिया है अथवा पूर्ण रुप से सुन लिया है और भली भॉति समझ लिया है । शासन के इन निर्देशों की सभी शर्ते मुझे मान्य है । उन्ही के अधीन मै यह प्रार्थना पत्र, उक्त फर्म की ओर से प्रस्तुत कर रहा हॅू ।

मै उक्त फर्म द्वारा ईंटों, ईंट भट्ठों में निर्मित टाइल्स ईंट के रोड़ों तथा राबिस की वर्ष 2007-2008 में दिनांक 01-10-2008 से 30-09-2009 में हुई बिक्री तथा इसी अवधि में ईंटां के निर्माण में प्रयुक्त कोयला, बालू तथा लकड़ी के बुरादे की खरीद पर विधि के अधीन देय मूल्य संवर्धित कर / प्रवेश कर के विकल्प में एक मुश्त धनराशि दिये जाने सम्बन्धी उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2008 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन समाधान हेतु एक मुश्त धनराशि संलग्न शपथ पत्र / अनुबन्ध पत्र के अनुसार रुपया--------------स्वीकार किये जाने का निवेदन

करता हूँ। इस धनराशि में मूल्य संवर्धित कर समाधान शुल्क रुपया-----------/ कोयले पर देय प्रवेश कर समाधान शुल्क रुपया-------सम्मिलित है। यह धनराशि मैने चालान संख्या----------------- दिनांक -----------------द्वारा-----------(बैंक / शाखा का नाम) में जमा कर दिया है, जिसकी प्रति इस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है।

दिनांक 01-10-2008 को मेरे यहॉ स्टाक निम्नवत् थाः-

क्रम संख्या	मद	संख्या/ मात्रा	स्थान जहॉ स्टाक है
01	पक्की ईंटे		
02	ईंटों के रोड़े		
03	भट्टो में निर्मित टाइल्स		
04	राबिस		
05	कोयला		
06	लकड़ी		
07	बालू		
08	लकड़ी का बुरादा		

दिनांक -----------------------

हस्ताक्षर------------------
पूरा पता-----------------
प्रास्थिति----------------
फर्म का नाम व पता -------------------

प्रमाणीकरण

मै इस प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति को व्यक्तिगत रुप से जानता हूँ। यह फर्म -------------------------------के स्वामी / साझीदार------------------------है तथा इस प्रार्थना पत्र पर इन्होने मेरे समक्ष हस्ताक्षर किये है।

प्रमाणीकरण करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर------------
पूरा नाम---------------------------------
पूरा पता-------------------------------

प्रारुप-2

शपथ पत्र

समक्ष डिप्टी / असिस्टेंट कमिश्नर वाणिज्य कर,

खण्ड-----------------

मंडल / उपमंडल

मैं-------------------------------------पुत्र श्री-------------------आयु लगभग------वर्ष स्थायी निवासी-----------------------------(पूरा पता) शपथ पूर्वक बयान करता हूॅ कि :-

1- मै, फर्म स्वामी सर्वश्री --------------------------जिसका मुख्यालय----------------(पूरा पता) पर स्थित है, का स्वामी / साझीदार ------------------------------(प्रास्थिति) हूॅ तथा यह शपथ पत्र अपनी उपरोक्त फर्म की ओर से दे रहा हूॅ।

2- मेरे फर्म के मुख्यालय तथा शाखाओं के विवरण निम्नवत् है :-

क्र. स.	पूरा पता	वस्तुएं जिनका निर्माण या व्यापार होता है	निर्मित वस्तुओं के साथ सह उत्पादो का विवरण
01	मुख्यालय		
02	शाखाएं (अ) (ब) (स)		

3- वर्ष 2008-2009 में दिनांक 01-10-2008 से 30-09-2009 तक की अवधि हेतु उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत ईंट निर्माता व्यापारियों द्वारा निर्मित ईंटो, ईंट भट्टो मे निर्मित टाइल्स ईंट के रोड़ो तथा राबिस की बिक्री और ईंटो के निर्माण में प्रयुक्त कोयला, बालू तथा लकड़ी के बुरादे की खरीद पर विधि के अधीन देय मूल्य संवर्धित कर / प्रवेश कर के विकल्प में एकमुश्त धनराशि दिये जाने सम्बन्धित समाधान योजना लागू किये जाने के सम्बन्ध में शासन के निर्देशों एवं उसमें अंकित सभी शर्तो तथा कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश द्वारा दिये गये आदेशो एवं प्रतिबन्धों की पूरी पूरी एवं सही जानकारी मुझे तथा मेरी फर्म में हितबद्व अन्य व्यक्तियों को हो चुकी है तथा सभी निर्देश, शर्ते तथा प्रतिबन्ध मुझे तथा मेरी फर्म में हितबद्व अन्य व्यक्तियों को मान्य है और सदा रहेंगे।

4- मेरी उक्त फर्म के अपने निजी एवं लीज पर पर ईंट के निम्नलिखित भट्ठे सीजन वर्ष 2008-2009 में 01-10-2008 से 30-09-2009 की अवधि में रहे है।

भट्टों की संख्या	भट्टे की प्रकृति (नॉन हाईड्राट/ हाईड्राट)	पायों की संख्या	एक समय में कितने स्थानो पर फुकाई होती है	पायों की संख्या के आधार पर प्रत्येक भट्टे के लिए प्रस्तावति एक मुश्त धनराशि	समाधान धनराशि	
1	2	3	4	5	6	
					कर समाधान शुल्क	कोयले पर देय प्रवेश कर समाधान शुल्क

कुल योग-------------------------------

5- प्रस्तर (4) में अंकित भट्टो तथा इसी तालिका के स्तम्भ-6 में अकिंत धनराशि का कुल योग रुपया---------------------होता है, जो मेरी / हमारी फर्म द्वारा देय है। इस धनराशि का चालान, व समाधान प्रार्थना पत्र, इस शपथ पत्र / अनुबन्ध पत्र के साथ संलग्न है।

6- यदि वर्ष 2008-2009 में दिनांक 01-10-2008 से 30-09-2009 तक की अवधि हेतु मेरा धारा-6 में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तब मेरी फर्म इस शपथ पत्र / अनुबन्ध पत्र के अनुलग्नक प्रारुप-1 में दी गयी शर्तो का अनुपालन करने, शासन द्वारा दिये गये निर्देशों तथा कमिश्नर वाणिज्य कर द्वारा लगायी गयी शर्तो / प्रतिबन्धों में दिये गये आदेशो का पालन करने तथा अपने दायित्व का निर्वहन करने के लिए वाध्य होगी। शासनादेश / परिपत्र में दिये गये निर्देशों और निर्धारित शर्तो का अनुपालन न किये जाने की दशा में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार तथा वाणिज्य कर विभाग, नियमानुसार कार्यवाहियां मेरी फर्म के विरुद्व कर सकेगा।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

हस्ताक्षर------------------

पूरा पता-----------------

प्रास्थिति----------------

फर्म का नाम व पता -------------------

घोषणा

मैं---उपरोक्त घोषणा करता हूॅ कि शपथ पत्र / अनुबन्ध पत्र के प्रस्तर (1) से (6) में अंकित विवरण मेरी जानकारी और विश्वास में पूर्ण तथा सत्य है और कोई तथ्य छिपाया नही गया है । यह भी घोषणा करता हूॅ कि इस शपथ पत्र / अनुबन्ध तथा इसके संलग्नक में निर्धारित प्रतिबन्धों, शर्तो और निर्देशों से मैं तथा मेरी फर्म में हितबद्व अन्य सभी व्यक्ति आबद्व रहेंगे ।

हस्ताक्षर------------------
पूरा पता-----------------
प्रास्थिति----------------
फर्म का नाम व पता -------------------

साक्षी के हस्ताक्षर----------------------------------
नाम एवं पता -------------------------------------
तिथि एवं स्थान---------------------------------------